THE FAMILY COURTS (AMENDMENT) BILL, 2022

Recently, the Lok Sabha passed the Family Courts (Amendment) Bill, 2022 to amend the **Family Courts Act, 1984.**

Key Points

About Family Courts Act, 1984

- To set up Family Courts by the State Governments in consultation with the High Courts.
- It lays down provisions for the appointment of judges in family courts.
- It **envisaged setting up a Family Court** in every city or town with a population exceeding one million.
- It provides for the association of social welfare agencies, counsellors, etc., during the conciliation stage and also to secure the service of medical and welfare experts.
- It provides that the parties to a dispute before a Family Court shall not be entitled, as of right, to be represented by a legal practitioner.
- It simplifies the rules of evidence and procedure so as to enable a Family Court to deal effectively with a dispute.
- It provides for only one right of appeal to the High Court.
- **Jurisdiction of Family courts:**
  - Matrimonial relief, including nullity of marriage, judicial separation, divorce, restitution of conjugal rights
  - The property of the spouses or of either of them;
  - Declaration as to the legitimacy of any person;
  - Guardianship of a person or the custody of any minor;
  - Maintenance of wife, children and parents.

What was the need to bring the Family Courts (Amendment) Bill, 2022?

- The Central government is empowered to notify dates for the **Family Courts Act, 1984** to come into force in different states.
- The governments of Himachal Pradesh and Nagaland have set up Family Courts in their states under the Act.
- However, the central government has not extended the application of the Act to these states.
- So, in order to **grant statutory cover to already established family courts** in **Himachal Pradesh** and **Nagaland. The Family Courts (Amendment) Bill, 2022 was brought in**.

CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY (CBDC)

Key Provisions

The Family Courts (Amendment) Bill, 2022

- The Family Courts (Amendment) Bill, 2022 will amend the Family Courts Act 1984
- It extends the application of the Act to Himachal Pradesh and Nagaland, with effect from the dates the family courts were set up.
- Under Section 3A, all actions taken, appointments made and notifications issued under the Act in Himachal Pradesh and Nagaland before the commencement of the Family Courts (Amendment) Act, 2022 will be deemed valid.
- All orders of appointment of a family court judge, and the posting, promotion or transfer of such a judge under the Act will also be valid in the two States.

News Source: The Hindu

परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

हाल ही में, लोकसभा ने **परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 में संशोधन करने के लिए परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया।**

प्रमुख बिंदु

परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के बारे में

- यह उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- यह पारिवारिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है।
- इसमें दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर या कस्बे में **एक परिवार न्यायालय स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी ।**
- यह सुलह के चरण के दौरान सामाजिक कल्याण एजेंसियों, परामर्शदाताओं आदि के सहयोग के लिए और चिकित्सा और कल्याण विशेषज्ञों की सेवा को सुरक्षित करने के लिए भी प्रावधान करता है।
- यह प्रावधान करता है कि पारिवारिक न्यायालय के समक्ष विवाद के पक्षकार कानूनी व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने के अधिकार के रूप में हकदार नहीं होंगे।
- यह साक्ष्य और प्रक्रिया के नियमों को सरल बनाता है ताकि परिवार न्यायालय किसी विवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो सके।
- यह उच्च न्यायालय में अपील का केवल एक अधिकार प्रदान करता है।
- **पारिवारिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार:**
  - वैवाहिक मामलों में राहत, जिसमें विवाह की अमान्यता, क़ानूनी अलगाव, तलाक, वैवाहिक अधिकारों की बहाली शामिल है।
  - पति या पत्नी की या उनमें से किसी की संपत्ति;
  - किसी भी व्यक्ति की वैधता के बारे में घोषणा;
  - किसी व्यक्ति की संरक्षकता या किसी अवयस्क की अभिरक्षा;
  - पत्नी, बच्चों और माता-पिता का भरण-पोषण।

परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 लाने की क्या जरूरत थी?

- केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों में **परिवार न्यायालय एक्ट, 1984 के लागू** होने की तारीखों को अधिसूचित करने का अधिकार है ।
- हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की सरकारों ने अधिनियम के तहत अपने राज्यों में परिवार न्यायालय स्थापित किए हैं।
- हालांकि, केंद्र सरकार ने इन राज्यों में अधिनियम के आवेदन का विस्तार नहीं किया है।
- इसलिए, **हिमाचल प्रदेश** और **नागालैंड** में **पहले से स्थापित पारिवारिक न्यायालयों को वैधानिक कवर प्रदान करने के लिए परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 लाया गया।**
  - नागालैंड में 2008 में दो परिवार न्यायालय और 2019 में हिमाचल प्रदेश में तीन परिवार न्यायालय स्थापित किए गए।

CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY (CBDC)

प्रमुख प्रावधान

परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

- परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करेगा।
- यह अधिनियम के लागू होने को हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में परिवार न्यायालय की स्थापना की तारीख़ तक विस्तारित करता है।
- धारा 3A के तहत, परिवार न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ होने से पहले हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में अधिनियम के तहत जारी सभी कार्रवाई, नियुक्तियां और अधिसूचनाएं वैध मानी जाएंगी।
- इस विधेयक के मुताबिक परिवार न्यायालय के जज की नियुक्ति के सभी आदेश और एक्ट के तहत ऐसे जज की पोस्टिंग, प्रमोशन या ट्रांसफर भी दोनों राज्यों में मान्य होंगे।

समाचार स्रोत: द हिन्दू